Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, JULY-AUG, 2018, VOL- 6/46

वैश्वीकरण का 'विवाह' संस्था पर प्रभाव : एक आनुभविक अध्ययन

रीना आर्य

शोध छात्रा, (समाजशास्त्र),पी0 पी0 एन0 कॉलेज, कानपुर (उ0प्र0)

(सम्बद्धः सी0 एस0 जे0 एम0 विश्वविद्यालय,कानपुर)

Abstract

वैश्वीकरण के जनक अमेरिकन समाजशास्त्री रोलेण्ड रॉबर्टसन के अनुसार यह सामाजिक– सांस्कतिक परिवर्तन की एक बहुआयामी जटिल प्रक्रिया है जिसका प्रयोग सन् 1990 से आधुनिकीकरण तथा उत्तर आधुनिकता के साथ–साथ सतत रूप से हो रहा है। 'वैश्वीकरण' विश्व का संकोचन या सिमटना तथा सम्पूर्ण रूप में विश्व–चेतना को उत्कट बनाने की प्रक्रिया दोनों ही है।[1] जो विकास के सन्दर्भ में सामाजिक सम्बन्धों के ऐसे तीव्रीकरण के रूप में दूरस्थ क्षेत्रों में घटित घटनाओं को स्थानीय घटनाओं से जोड़ता हैं कि 'दिक' और काल, स्थान और समय की दूरी सिमट जाती है और सम्पूर्ण विश्व में लोगों की पारस्परिक निर्भरता की प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है।[2] प्रो0 मालकॉम वाटर्स ने अपने ग्रन्थ 'ग्लोबलाइजेशन' (1995) में लिखा है कि ''वैश्वीकरण एक सामाजिक–प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक व साँस्कृतिक व्यवस्थाओं पर भौगोलिक दबाव और प्रतिबन्ध कम हो जाते हैं, और जिसमें लोगों को यह जानकारी हो जाती है कि भौगोलिक प्रतिबन्धों का दबाव या प्रतिबन्ध अब घट गया है, इसमें भौगोलिक तथा राष्ट्रीय प्रतिबन्धों की सीमाएं टूट जाती हैं, और उनके बन्धन शिथिल हो जाते हैं।[3] ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलांजी (1998) के अनुसार ''वैश्वीकरण–सिद्धान्त एक वैश्वीकत साँस्कृतिक व्यवस्था के आविर्भाव का परीक्षण करता है, और यह सुझाव प्रस्तुत करता है कि वैश्विक संस्कृति; विविध सामाजिक व साँस्कृतिक विकासों का उत्पाद है जिसमें एक एकल स्थान के रूप में विश्व की एक नवीन चेतना अन्तर्विष्ट है।''[4] स्पष्टतः वैश्वीकरण एक ऐसी जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है जो विश्व को अन्तर्सम्बन्धित और आत्मनिर्भर बनाते हुए एकीकृत करने का प्रयास करती है।[5]

आज भारतीय समाज की सभी प्रमुख सामाजिक संस्थाएं जिनमें 'विवाह' प्रमुख है; के सभी वैवाहिक–प्रतिमान वैश्वीकरण–प्रक्रिया के कारण तीव्र 'परिवर्तन के प्रक्रम' से गुजर रहे हैं। वस्तुस्थिति से अवगत होने के लिए प्रस्तुत शोध–पत्र एक लघु पयास है।

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध–पत्र का मौलिक उद्देश्य : ''वैश्वीकरण का 'विवाह' संस्था पर प्रभावों का अध्ययन करना'' है; साथ ही निम्न ''गौण उद्देश्य'' अध्ययनार्थ प्रस्तावित हैं :

(1) सूचनादाताओं की वैयक्तिक तथा समाजार्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी करना।

(2) वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप ''विवाह'' संस्था पर पड़ रहे विभिन्न प्रभावों का अध्ययन करना।

(3) आनुभविक आधार पर निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत करना।

पद्धतिशास्त्र : पद्धतियाँ एवं प्रविधियाँ :

'अध्ययन–क्षेत्र' रूप में उत्तर प्रदेश का जनपद औरैया 'समग्र' चुना गया है जो शोध की दृष्टि से न अधिक विस्तृत है, और न अधिक सीमित; अपितु उचित तथा उपयुक्त है। यह एक नवसृजित जनपद है; जिसमें कुल तीन तहसीलें (औरैया, विधूना तथा अजीतमल) और सात विकासखण्ड (सहार, विधूना, अजीतमल, भाग्यनगर, अच्छल्दा, औरैया तथा ऐरबाकटरा) हैं। जनपद की कुल जनसंख्या (वर्ष

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

2011 के अनुसार) 13,79,545 (740040 पुरूष, 639505 महिलाएं) हैं जिसमें नगरीय जनसंख्या 2,34,205, शेष ग्रामीण हैं। सात विकासखण्डों में से तीन विकासखण्ड (भाग्यनगर, सहार, अच्छल्दा) ''संयोग निदर्शन की लाटरी विधि'' से चुनकर; प्रत्येक विकासखण्ड से 2–2 ग्राम पंचायतें अर्थात् कुल 6 ग्राम पंचायतें चुनकर; चयनित ग्राम पंचायतों के कुल 5996 परिवारों में से 5% निदर्श–चयन के अनुसार 299. 8 अर्थात् 300 परिवार चुनकर; इन परिवारों के कर्ताओं/मुखियाओं को अध्ययन की इकाई (सूचनादाता) मानकर प्राथमिक तथ्य संकलित किए गए हैं। इस प्रकार यह किया गया अध्ययन प्रकृति की दृष्टि से ''सूक्ष्म आनुभविक समाजशास्त्रीय'' है।

तथ्य–संकलन में मुख्य पद्धति के रूप में ''साक्षात्कार–अनुसूची'' तथा ''क्षेत्रीय सर्वेक्षण'' को अपनाया गया है। प्राथमिक तथ्य संकलित करने से पूर्व अनुसूची की वैधता तथा साथकता की जाँच 'पायलट सर्वे' द्वारा की गयी तत्पश्चात् 'व्यक्तिगत साक्षात्कार' तथा 'अवलोकन' करते हुए प्राथमिक तथ्य प्रचुर व समुचित मात्रा में संकलित किए गए हैं। तदुपरान्त साँख्यकीय विधि से तथ्यों का वर्गीकरण एवं साँख्यकीय विश्लेषण कर तत्सम्बन्धित निष्कर्ष स्थापित किए गए हैं।

भारतीय समाज में पहले विवाह की धारणा 'धर्म' आधारित थीं। विवाह को पवित्र धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया जाता था। विवाह की प्रकृति अनिवार्य थी। धार्मिक नियम एवं अनुष्ठान 'वैवाहिक–प्रक्रिया' के अनिवार्य अंग थे। विवाह के उद्देश्यों (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) में धर्म को सर्वाधिक महत्व तथा रति (काम) को अन्तिम स्थान प्राप्त था। विवाह को ईश्वर द्वारा निर्धारित तथा जन्म जन्मान्तर का बन्धन माना जाता था; अतः 'विवाह–विच्छेद' सम्भव नहीं था। वैवाहिक निर्णय, अन्तर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम/प्रतिलोम आदि नियमों तथा निषेधों द्वारा निर्देशित होता था। किन्तु वर्तमान में उत्तरोत्तर वृद्धि करती पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति, औद्योगीकरण, नगरीकरण, लोकतांत्रिक शासन एवं मूल्यों, नवीन सामाजिक विधानों, महिला–शिक्षा, सहशिक्षा, सहव्यवसाय, व्यक्तिवादी व भौतिकतावादी मूल्यों, आधुनिकीकरण तथा वैश्वीकरण के प्रभावों के प्रभाव स्वरूप 'विवाह' की परम्परागत धारणा एवं प्रतिमान बहुत तीव्र गति से प्रभावित हो रूपान्तरित हो रहे हैं। 'रूपान्तरण' एक गतिशील शब्द है जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध आधुनिकता तदुपरान्त 'उत्तर–आधुनिकता' तथा वैश्विक– प्रक्रिया द्वारा हो रहे परिवर्तनों से है।

निम्न तालिका नं0 (1) सभी 300 निदर्शित सूचनादाताओं की वैयक्तिक तथा समाजार्थिक पृष्ठभूमि दर्शाती है :

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तालिका नं. (1) : सूचनादाताओं की वैयक्तिक तथा सामाजार्थिक पृश्ठभूमि

क्रम	सम्बन्धित परिवर्त्य	सूचनादाताओं की आवृत्तियाँ / प्रति□ात				योग (प्रतिशत)
1	धर्म	हिन्दू 264(88.00)	इस्लाम 24(08.00)	अन्य 12(04.00)	–	योग 300(100.00)
2	जाति	सवर्ण 177(59.00)	पिछड़ी 63(21.00)	अनुसूचित 60(20.00)	–	योग 300(100.00)
3	परिवे ा	ग्रामीण 183(61.00)	नगरीय 24(08.00)	ग्रामीण–नगरीय 93(31.00)	–	योग 300(100.00)
4	ि ाक्षा	अ ि ाक्षित 02(00.67)	हाईस्कूल 141(47.00)	इण्टरमीडिएट 05(01.67)	कॉलेज स्तर 152(50.66)	योग 300(100.00)
5	वैवाहिक स्तर	अविवाहित 01(00.33)	विवाहित 296(98.67)	अन्य 03(01.00)	–	योग 300(100.00)
6	व्यवसाय	कृशि व प ुपा. 135(45.00)	नौकरी 30(10.00)	निजी व्यवसाय 93(31.00)	अन्य 42(14.00)	योग 300(100.00)
7	आयु वर्ग	30 वर्श से कम 42(14.00)	30–40 वर्श 168(56.00)	40–50 वर्श 64(21.33)	50 वर्श (+) 26(08.67)	योग 300(100.00)

तालिका नं. (2) : विवाह की अनिवार्य तथा साँस्कृतिक प्रकृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव

क्रम	पड़ने वाला प्रभाव	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	विवाह की प्रकृति संविदात्मक	132	44.00
2	सनातनी	149	49.67
3	आर्य समाजी	19	06.33
	समस्त	300	100.00

तालिका (2) के प्राथमिक तथ्यों से स्पष्ट है कि विवाह की सांस्कारिक एवं अनिवार्य प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ है; साम्प्रत अब 'विवाह' जन्म जन्मान्तर का बन्धन व अनिवार्य संस्कार न होकर 'संविदा' बन गया है जिसे 44% सूचनादाताओं ने स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप उनके विचार, विवाह की धार्मिक धारणा से संविदात्मक धारणा की दिशा में परिवर्तनोन्मुखी हैं। फिर भी 49.67% सूचनादाताओं ने विवाह की सनातनी पद्धति को स्वीकार किया है। परन्तु विवाह संस्था में परिवर्तन होना शत प्रतिशत सूचनादाताओं ने स्वीकार किया है। 'याज्ञवल्क्य स्मृति' के अनुसार कन्या का विवाह 'रजोदर्शन पूर्व' कर देने का प्रावधान था; अन्यथा प्रत्येक रजोदर्शन पर उसके माता–पिता को 'भ्रूण–हत्या' का पाप लगना माना जाता था, लेकिन आज ऐसे विचारों को रूढ़िवादी, अन्धविश्वासी, पुराने समय की बातें तथा परिवर्तनशील शक्तियों की अवमानना माना जाता है।

निम्न तालिका (3) आजकल विवाह हेतु जीवन साथी चयन में विभिन्न गुणों को प्राथमिकता दिए जाने के सम्बन्ध में प्रकाश डालती है :

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तालिका नं. (3) : जीवन साथी चयन में विभिन्न गुणों को प्राथमिकता तथा औचित्य

क्रम	गुणों को प्राथमिकता दिया जाना	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	शिक्षा	87	29.00
2	सौन्दर्य	75	25.00
3	व्यक्तिगत गुण	82	27.33
4	दहेज तथा आर्थिक स्थिति	20	06.67
5	व्यक्तित्व के गुण	25	08.33
6	अन्य (परिवार, खानदान, जाति आदि)	11	03.67
	समस्त	300	100.00

'जीवन साथी चयन' में विभिन्न गुणों को प्राथमिकता दिए जाने के अध्ययन से विदित हुआ है कि 29% शिक्षा को, 25% सौन्दर्य को, 27.33% व्यक्तिगत गुणों, 3.67% दहेज व आर्थिक स्थिति, 8. 33% व्यक्तित्व के गुणों तथा 3.67% अन्य (परिवार, खानदान, जाति आदि) गुणों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। सुस्पष्ट है कि आज जीवन साथी चयन में परम्परागत आधारों के स्थान पर आधुनिक एवं प्रगतिशील आधारों को वरीयता प्रदान की जा रही है। वैश्वीकरण–प्रक्रिया के प्रभाव स्वरूप जातीय बन्धन शिथिल हुए हैं। जिससे अब अन्तर्जातीय विवाह, अन्तर्उपजातीय विवाह, अन्तः धार्मिक विवाह, प्रेम विवाह प्रचलन में हैं।

भारत, धर्म प्रधान राष्ट्र होने के नाते यहाँ विवाह को प्रारम्भ काल से ही एक सामाजिक संगठन के रूप में देखा जाता है जो परिवार के साथ अभिन्न रूप से ओतप्रोत एक उतनी ही पुरानी संस्था है जितना कि परिवार। विवाह एक सामाजिक बन्धन एवं धार्मिक संस्कार के रूप में स्पष्ट होने वाली संस्था है जो दो विषम लिंगीय व्यक्तियों को यौन सम्बन्ध स्थापित करने ओर उन्हें परस्पर सामाजिक–आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने तथा परस्पर कर्तव्य निभाने के अधिकार प्रदान करती है।

निम्न तालिका नं0 (4) विवाह संस्था पर वैश्वीकरण प्रक्रिया से पड़ने वाले प्रभावों के प्रति अध्ययन किए गए कुल 300 सूचनादाताओं के अभिमतों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :

तालिका नं. (4) : वैश्वीकरण के 'विवाह' संस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति सूचनादाताओं के अभिमत/दृश्टिकोण

क्रम	वश्वीकरण के विवाह संस्था पर प्रभाव	सूचनादाताओं के अभिमत (आवृत्तियाँ/प्रतिशत)				समस्त (प्रतिशत)
		हाँ	नहीं	उदासीन	कह नहीं सकते	
1	विवाह एक धार्मिक संस्कार न रहकर एक सामाजिक उत्सव बन गया है	200 (66.67)	24 (08.00)	– (00.00)	76 (25.33)	300 (100.00)
2	व्यवस्थित विवाहों का स्थान; प्रेम विवाहों, अन्तर्जातीय, अन्तर्उपजातीय व अन्तर्धार्मिक विवाहों ने ले लिया है	229 (76.33)	30 (10.00)	23 (07.67)	18 (06.00)	300 (100.00)
3	विवाह करने की उम्र बढ़ गयी है	207 (69.00)	45 (15.00)	– (00.00)	48 (16.00)	300 (100.00)
4	वैवाहिक–निर्णय लेने में युवाओं की भूमिका तथा पसन्द केन्द्रीय/मुख्य हो गयी है	270 (90.00)	– (00.00)	– (00.00)	30 (10.00)	300 (100.00)

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

5	वैवाहिक निर्णय लेने में युवक–युवती का परामर्श लेने की प्रवृत्ति मुख्य हो गयी है	240 (80.00)	– (00.00)	36 (12.00)	24 (08.00)	300 (100.00)
6	विलम्ब विवाहों में वृद्धि हुयी है, तथा अविवाहित रहने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला है	267 (89.00)	– (00.00)	21 (07.00)	12 (04.00)	300 (100.00)
7	आज विवाहों के जरिये 'पुत्र–प्राप्ति' की अनिवार्यता नहीं दी जा रही है	189 (63.00)	48 (16.00)	18 (06.00)	45 (15.00)	300 (100.00)
8	विवाह जन्म जन्मान्तर का सम्बन्ध न रहकर; विवाह एक समझौता बन गया है	192 (64.00)	63 (21.00)	– (00.00)	45 (15.00)	300 (100.00)
9	'विवाह' सम्बन्ध आजकल मित्रता व सुविधा के रूप में देखे जा रहे हैं	207 (69.00)	– (00.00)	30 (10.00)	63 (21.00)	300 (100.00)
10	आज दम्पत्ति के वैचारिक मतभेद/ या मानसिक टकराव होने पर दोनों पक्षों को 'विवाह– विच्छेद' की सुविधा है	265 (88.33)	18 (06.00)	17 (05.67)	– (00.00)	300 (100.00)
11	वर्तमान सन्दर्भों में विवाह संस्था का महत्व कम हुआ है, इत्यादि	186 (62.00)	42 (14.00)	57 (19.00)	15 (05.00)	300 (100.00)

विवाह संस्था पर वैश्वीकरण प्रक्रिया से पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों के प्रति अध्ययन किए गए कुल 300 सूचनादाताओं के अभिमतों के अनुसार :

(1) 66.67% सूचनादाताओं का मानना है कि आज विवाह एक धार्मिक संस्कार न रहकर एक सामाजिक उत्सव रह गया है।

(2) 63% सूचनादाताओं ने बताया कि आज व्यवस्थित विवाहों का स्थान प्रेम विवाहों ने ले लिया है जो अन्तर्जातीय, अन्तर्उपजातीय तथा अन्तधार्मिक रूप में हो रहे हैं।

(3) 69% सूचनादाताओं ने यह स्वीकारोक्तियाँ की हैं कि विवाह की उम्र बअब बढ़ गयी है अर्थात् अब आधी उम्र बीत जाने पर विवाह हो रहे हैं।

(4) 90% सूचनादाताओं के मतानुसार वैवाहिक निर्णय लेने में पहले अभिभावकों की भूमिका केन्द्रीय (मुख्य) हुआ करती थी; वहीं शिक्षा के कारण लड़की–लड़के की पसन्द का महत्व बढ़ गया है।

(5) 80% सूचनादाताओं ने बताया कि वैवाहिक निर्णय लेने में युवक–युवती का परामर्श लेने की प्रवृत्ति विकसित हुई है।

(6) 89% सूचनादाताओं मानना है कि विलम्ब विवाहों का चलन बढ़ा है। साथ ही अविवाहित रहने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला है।

(7) 63% सूचनादाताओं की मान्यता है कि आज विवाह के जरिये 'पुत्र–प्राप्ति' की अनिवार्यता नहीं दी जा रही है।

(8) 64% सूचनादाताओं ने स्वीकार किया है कि विवाह को जन्म जन्मान्तर का सम्बन्ध न मानकर 'विवाह को समझौता' स्वीकार कर रहे हैं।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(9) 69% सूचनादाताओं ने बताया कि विवाह सम्बन्ध ''आज कल मित्रता व सुविधा के रूप में देखे जा रहे हैं।''

(10) 88.33% सूचनादाताओं के अभिमतों के अनुसार आज दम्पति के वैचारिक मध्य मतभेद या मानसिक टकराव होने पर दोनों पक्षों को ''विवाह–विच्छेद'' की सुविधा है।

(11) 62% सूचनादाता यह स्वीकार करते हैं कि वर्तमान सन्दर्भों में 'विवाह' संस्था का महत्व कम हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के प्रकाश में स्पष्ट है कि आधुनिक परिवर्ती परिस्थितियों और परिवेश ने वैवाहिक सम्बन्धों को भाँति–भाँति से प्रभावित कर 'नया आयाम' प्रदान किया है। विकसित होती हुई सामाजिक प्रक्रिया, राजनीतिक चेतना, आर्थिक उदारीकरण, चरम मानवीयता का विकास तथा तकनीकी व सूचना संचार के कारण सिमटते विश्व ने विवाह–सम्बन्धों को परिवर्तित कर दिया है; फिर भी ''विवाह'' एक संस्कार के रूप में प्रगाढ़ता से विद्यमान है। किन्तु व्यक्ति की आवश्यकता और स्वतंत्रता के अनुसार इसने अपने स्वरूप को 'विश्व समुदाय की समझ' एक नए रूप में प्रस्तुत कर रहा है। जिसे यूरोपीय/पश्चिमी समाजों के बदलते वैवाहिक सम्बन्धों का प्रमुख वाहक माना जा रहा है। साम्प्रतः बदलते वैवाहिक सम्बन्धों के अनेक कारण एवं आयाम दृष्टव्य हैं। जो इसके नियमों में तेजी से बदलाव ला रहे हैं।

''यहाँ उल्लेख करना समीचीन ही है कि उदारवाद तथा नव–उदारवाद की आधी के चलते; जो बदलाव औद्योगीकरण, नगरीकरण तथा पश्चिमीकरण के कारण भारतीय समाज में 'विवाह के स्वरूप' तथा 'वैवाहिक सम्बन्धों' को ''लिव–इन–रिलेशनशिप'' तक ला दिया है इसे इसलिए अपनाने को आतुर हैं क्योंकि आज की युवा पीढ़ी स्वच्छन्दता की ओर भाग रही है। जो भारतीय वैवाहिक संस्कृति पर कुठाराघात है; इससे व्यक्ति में मौलिक तथा नैतिक दुविधा जैसी स्थिति बनती जा रही है; समाज अभी पूरी तरह पश्चिमीकरण का चोला भी नहीं ओढ़ पाया है; भारतीय संस्कृति, ''लिव–इन–रिलेशनशिप'' को इजाजत नहीं देती है। इस कारण युवा पीढ़ी व अभिभावक गण इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि ''लिव–इन– रिलेशनशिप'' सही है या गलत। भले ही 'लिव–इन–रिलेशनशिप' प्रकार्यकारी है; यथा : दहेज प्रथा पर अंकुश लगाता है, नारी सशक्तिकरण को बल देता है, आर्थिक व मानसिक स्वच्छन्दता प्रदान करता है आदि; तो कुछ मामलों में व्यक्ति तथा समाज को क्षति पहुँचाता ह। इस प्रकार समाज में भौतिकतावादी दृष्टिकोण, व्यक्तिवादिता में वृद्धि, उदारीकरण, नव–उदारीकरण और पश्चिमीकरण आदि के परिणामतः विवाह व्यवस्था में आए बदलाव की वजह से 'लिव–इन–रिलेशनशिप' अवधारणा विकसित हुई है; जो विवाह संस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप परिवर्तन की पराकाष्ठा है।

परिवार और विवाह; प्रत्येक मानव समाज की दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधारभूत सामाजिक संस्थाएं हैं; ये भी सूचना–प्रौद्योगिकी क्रान्ति (Info-Tech Revolution) जो कि वैश्वीकरण की ही

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

देन है, के प्रभाव स्वरूप, निःसन्देह प्रभावित हुई हैं। जन संचार माध्यम 'संस्कृति' में क्रान्ति लाते हैं। पश्चिमी विकसित देशों (समाजों) ने 'कम्प्यूटर नेटवर्क' के साथ जुड़कर आज पूरे विश्व को एक 'ग्लोबल विलेज' (Global Village) बना दिया है। यहाँ तक कि साइबर स्पेस (Ciber Space) ने आज समस्त विश्व को अपने आगोश में ले लिया है जिसने भारतीय समाज की संस्थागत परम्पराएं, प्रतिमान, मूल्य तथा मान्यताओं में आमूलचूल परिवर्तन ही नहीं किए हैं अपितु उपभोक्ता संस्कृति तथा संरक्षणवादी प्रवृत्ति को उभार कर इन्द्रिय सुख तथा एकांगी जीवन दर्शन को भी प्रोत्साहित किया है। **'सोसल मीडिया'**, जो कि दूर संचार प्रौद्योगिकी की ही एक अनूठी देन है; ने हमारे एक दूसरे के सदृश (सचित्र) मिलन, बातचीत करने, अन्तः क्रिया करने के तौर तरीकों इत्यादि का तरीका बदल दिया है। टैक्सिटंग (Texting), फेसबुक, माई स्पेस, ट्विटर, व्हाट्सएप व अन्य सोसल मीडिया इत्यादि सभी सन्देश वाहन के ऐसे जरिये हैं जो एक दो दशक पूर्व सम्भव ही नहीं थे। परन्तु अन्य मानवीय खोजों की तरह 'सोसल मीडिया के प्रभाव' भी अच्छे तथा बुरे दोनों ही प्रकार के हैं। जब 'सोसल मीडिया' पर प्रणय सम्बन्धी (Romantic), परिणय (Marriage), वैवाहिक सम्बन्ध (Marital Relation) फेसबुक द्वारा दिए/किए जाते हैं तो ये कभी–कभी एक विकट समस्या बनकर आपसी संघर्ष तक जनित कर देते हैं। इस रूप में 'सोसल नेटवर्किंग साइट्स' तथा विवाह–विच्छेद (Divorces) के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। सोसल मीडिया के उपयोग से पूर्व 'वैवाहक विज्ञापन' (Matrimonial advertisements) समाचार–पत्रों में विज्ञापित किए जाते थे, जिनका चलन फेसबुक (सोसल मीडिया) के कारण अब अत्यन्त कम हो गया है; फलस्वरूप, विवाह–सम्बन्धों में ठगी (Cheating), फरेब (Fraud), प्रेम का ढ़ोंग (Flirting), छलकपट (Deceiving), फर्जीफिकेशन (Fictitiousness) आदि सोसल मीडिया के जरिए खुलकर किए जा रहे हैं।

उक्त निर्दिष्ट सभी तथ्य ''विवाह संस्था'' तथा वैवाहिक सम्बन्धों के प्रसंग में ''सोसल मीडिया के बुरे प्रभाव'' हैं। अतः सोसल मीडिया/फेसबुक का उचित रूप में उपयोग वाँच्छनीय एवं आवश्यक है; ताकि ''किसी का घर न उजड़े'' (to expose to loss)

अध्ययन किए गए कुल 300 सूचनादाताओं में से फेसबुक पर प्रदत्त विवाह–विज्ञापनों के आधार पर किए जाने वाले विवाहों के सन्दर्भ में मात्र 17% सूचनादाता पक्ष में, तथा 3.33% सूचनादाता उदासीन दृष्टिकोण दर्शाने वाले पाए गए हैं जबकि सर्वाधिक 71.67% सूचनादाता विपक्ष में दृष्टिकोण वाले पाए गए हैं, वहीं 8% सूचनादाता इस प्रश्न पर अनुत्तरित रहे हैं।

फेसबुक पर दिए गए विवाह के विज्ञापनों के आधार पर किए जाने वाले विवाहों के प्रति कुल 300 सूचनादाताओं में से लिंग सापेक्ष दृष्टिकोणों के अनुसार :

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(1) **कुल 279 पुरूष सूचनादाताओं में से** : 18.28% ने पक्ष में, 3.58% ने तटस्थ, 71.68% ने विपक्ष में तथा 6.46% अनुत्तरित रहे हैं जबकि,

(1) **कुल 21 महिला सूचनादाताओं में से** : 71.43% ने विपक्ष में अभिमत दर्शाए तथा 28.57% अनुत्तरित रही हैं। पक्ष में तथा उदासीन अभिमत दर्शाने वाली एक भी सूचनादात्री नहीं पायी गयी है।

निष्कर्षतः ग्रामीण जन आज भी फेसबुक पर दिए गए विवाह के विज्ञापनों को पसन्द नहीं करते हैं। फेसबुक पर दिए जाने वाले विवाह सम्बन्धी विज्ञापनों में से विवाह करने पर विपक्ष में अभिमत प्रकट करने वाले कुल 215 सूचनादाताआ में से 23.26% ने बताया कि उन्हें ठगी की अनुभूति होती है, सर्वाधिक (31.63%) सूचनादाताओं को फ्रॉड लगता है, 9.76% सूचनादाताओं को प्रेम का ढ़ोंग लगता है, 16.74% सूचनादाता धोखा (छलकपट) मानते हैं, वहीं 18.61% सूचनादाता 'फर्जीफिकेशन' की अनुभूति करते हैं। अध्ययन किए गए कुल 300 सूचनादाताओं में से मात्र एक चौथाई (24.33%) सूचनादाता ही फेसबुक से होने वाली शादी को उचित मानते हैं; जबकि 227(75.67%) अर्थात् तीन–चौथाई से अधिक सूचनादाता फेसबुक शादी को ''अनुचित'' मानते हैं क्योंकि : (1) पूर्ण (Detailed) जानकारी नहीं मिल पाती है, (2) फेसबुक से दी जाने वाली जानकारी से पूर्ण मानसिक सन्तुष्टि न मिलना, (3) फेसबुक पर मिलने वाला व्यक्ति पूर्णतः अपरिचित होता है, (4) फेसबुक से होने वाली शादियाँ प्रायः असफल रहती हैं; सामंजस्य न हो पाना तथा विवाह–विच्छेद की सम्भावनाएं अधिक रहती हैं।

सन्दर्भ (References) :

Robertson R ; Globalization, Sage Publication, London, 1992, p. 8.

Giddens Anthony ; Modernity and Self-Identity, Polity Combridge University Press, 1991, p. 21.

Ibid, Analysis of Modernity, Consequences and it's development, Polity Combridge Univ., Publications ; 1991, p. 24.

Malcolm Waters ; Globalization, Routledge and Kegan Paul London, 1995, p. 132

Oxford Dictionary of Sociology, Edited by Gorden Marshall, Oxford Univ. Press, Oxford, 1998, p. 258.

Chatterjee Parth ; Beyond the Nation? Or Within?, Economic and Political Weekly, Delhi, Jan. 4-11, 1977.

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies